रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2003/चैत्र 11, 1925
No. 296] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2003/CHAITRA 11, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603(अ)।

का.आ. 365(अ).—यत:, अरूणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को गृह मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के तहत 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था, और

2. यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी।

3. स्थिति की पिछली बार सितंबर, 2002 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 30-9-2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 1050(अ) के तहत तीरप एवं चांगलांग की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की अवधि को 31-3-2003 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। अब तीरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की और समीक्षा की गई है। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में समीक्षाधीन अवधि के दौरान सुरक्षा बलों और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.), एन.एस.सी.एन. (के) के बीच हुई मुठभेड़ों, इन विद्रोही संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर धन ऐंठने, एवं हिंसात्मक कार्य करने तथा शस्त्रों और गोलाबारूद की जब्ती की सूचना दी है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि तीरप और चांगलांग से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सेना, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल और सिविल बल मिलकर उग्रवाद से लड़ रहे हैं। अत: राज्य सरकार ने यह सिफारिश भी की है कि इन दो जिलों की अशांत जिलों के रूप में की गई घोषणा को जारी रखा जाए।

4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर केन्द्र सरकार की यह राय है कि तीरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती को जारी रखा जाना चाहिए। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना पहले वापस न लिए जाने की स्थिति में 30 सितंबर, 2003 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 13/27/99-एम.जेड.]

के. एस. रामासूब्बन, संयुक्त सचिव (बी एम)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2003

Ref. : Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

S.O. 365(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;

3. The situation was last reviewed in September, 2002 and vide Notification bearing S.O. 1050(E) dated 30-9-2002, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 31-3-2003. A further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. The State Government has in their report detailed a number of encounters between Security Forces and NSCN(IM), NSCN(K), large-scale extortion, acts of violence by these insurgent outfits and seizure of arms and ammunition during the period under review. The State Government has reported that the Army, CPMF and Civil forces are jointly carrying counter insurgency operations to flush out militants from Tirap and Changlang. The State Government have, therefore, also recommended that these two districts be continued to be declared as disturbed.

4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30th September, 2003 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

K. S. RAMASUBBAN, Jt. Secy. (BM)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.